न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **65/2015** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नि स्व. श्री किशोरपुरी गोस्वामी, निवासी साकरोदा, हाल नीमचखेड़ा, देवाली, उदयपुर
2. श्री मथुरापुरी पुत्र स्व. श्री किशोरपुरी गोस्वामी, निवासी साकरोदा, हाल नीमचखेड़ा, देवाली, उदयपुर
3. श्री चेतरामपुरी पुत्र स्व. श्री किशोरपुरी गोस्वामी, निवासी साकरोदा, हाल नीमचखेड़ा, देवाली, उदयपुर
4. श्री चिमनपुरी पुत्र स्व. श्री किशोरपुरी गोस्वामी, निवासी साकरोदा, हाल नीमचखेड़ा, देवाली, उदयपुर
5. श्री देवपुरी पुत्र स्व. श्री किशोरपुरी गोस्वामी, निवासी साकरोदा, हाल नीमचखेड़ा, देवाली, उदयपुर

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. श्री चैनपुरी पिता श्री हीरापुरी गुसाई, निवासी धनेरियागढ़, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.)
2. श्री माधोपुरी गुसाई पिता श्री हीरापुरी गुसाई मृतक के बजायः—
   - 2/1 श्रीमती देउबाई पत्नि श्री माधुपुरी, निवासी धनेरियागढ़, तहसील रेलमगरा
   - 2/2 कैलाशपुरी मुतबन्ना श्री माधुपुरी, निवासी धनेरियागढ़, तहसील रेलमगरा
3. श्री प्यारपुरी पिता श्री हीरापुरी गुसाई, निवासी धनेरियागढ़, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.)
4. श्रीमती जमना पुत्री श्री हीरापुरी गुसाई, निवासी धनेरियागढ़, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.)
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मावली, नामान्तरकरण संख्या 991 ग्राम साकरोदा, दिनांक 29.12.10 निरस्त किये जाकर अपीलान्टगण के नाम पर भूमि खाते दर्ज करवायी जाने बाबत्

उपस्थित : श्री पुरूषोत्तमपुरी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सम्पतलाल बोहरा, रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 2/1, 2/2

निर्णय

दिनांकः— 06.08.2018

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा साकरोदा में प्रार्थी/अपीलान्ट के पैतृक भूमि खसरा संख्या 1721, 1722, 1737, 1738, 1739, 1740 कुल किता 6 रकबा 7 बिघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पिता श्री किशोरपुरी पिता श्री दल्लापुरी गुसाई के खातेदारी की होकर किशोरपुरी की मृत्यु 19.06.1967 को उनके ग्राम बलीचा हल्दीघाटी खमनोर में हुई थी एवं उक्त भूमि जो उनकी मृत्यु के पश्चात् ग्राम साकरोदा की समस्त भूमि उनके पत्नि एवं पुत्रो के राजस्व रेकार्ड में खाते दर्ज होनी चाहिये थी नही की गई। लेकिन रेस्पोडेंटगण द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक नामान्तरकरण संख्या 991 दिनांक 29.12.10 के जरिये उक्त भूमि रेस्पोडेंट वारीस बनकर अपने नाम पर दर्ज करवा ली है जो कतई गैर कानुनी होकर निरस्त होने योग्य हैं। नामान्तरकरण संख्या 991 पूर्णतया राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, इन्स्पेक्टर इत्यादि सभी लोगो ने प्रशासन गॉवो के संग अभियान के तहत दिनांक 29.12.10 को रेस्पोडेंट के नाम पर फर्जी वारिस बताकर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो कतई गैर कानुनी है एवं अपीलान्टगण ही एक मात्र मृतक किशोरपुरी पिता श्री दल्लापुरी गोस्वामी, निवासी साकरोदा, हाल बलीचा व तत्पश्चात् निमचखेड़ा, देवाली, उदयपुर आ जाने से उक्त लोगो को उक्त फर्जीवाड़ा कर प्रार्थीगण/अपीलान्टगण की जमीन को हथकण्डे अपनाकर हथियाने की कुचेष्टा के परिणाम स्वरूप तथाकथित नामान्तरकरण रेस्पोडेंट के नाम पर खोला है जो तत्काल प्रभाव से निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टगण के नाम कराया जावें एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जावें। रेस्पोडेंटगण मृतक किशोरपुरी पिता दलापुरी के कुछ भी नही लगते है एवं अपीलान्टगण प्रार्थी मृतक किशोरपुरी के जायज उत्तराधिकारी है उनके नाम पर उक्त भूमि दर्ज

होना अनिवार्य हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्टगण को उसके पुत्र श्री गोपाल से हुई जिसने अपीलान्टगण को उक्त नामान्तरकरण की प्रति दिनांक 02.10.15 को बताने से जानकारी में आया जिससे तत्काल यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की गई हैं। अपील की जानकारी अपीलान्टगण को होने से अपील प्रस्तुत करने को समयावधि में समाहित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा रेस्पोडेंट द्वारा अवैध खोले गये नामान्तररण के द्वारा जमीन नाम पर होने से उक्त जमीन जिसके वैध उत्तराधिकारी अपीलान्टगण है रेस्पोडेंटगण व अन्य लोग भूमि हथियाने में कामयाब हो जायेंगे। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ तहसीदार मावली के नामान्तरकरण संख्या 991 दिनांक 29.12.10 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः भूमि का नया नामान्तरकरण अपीलान्टगण के नाम पर स्वीकृत कराया जाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्टगण के नाम पर दर्ज करायी जावें।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी अभी हुई हैं। जिसकी नकल लेकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया। जिनके द्वारा अपील मेमो का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपनी बहस के कथनो में अपील मेमो में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम साकरोदा तहसील मावली की पैतृक खसरा आराजी संख्या 1721, 1722, 1737, 1738, 1739, 1740 किता 6 रकबा 7 बिघा 12 बिस्वा के मुल खातेदार

किशोरपुरी पिता दल्लापुरी गुसाई थे। किशोरपुरी की मृत्यु दिनांक 19.06.67 को ग्राम बलीचा हल्दीघाटी खमनोर में हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् साकरोदा की समस्त भूमि उनकी पत्नि या पुत्रो के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु रेस्पोडेंटगण द्वारा धोखाखड़ी पूर्वक नामान्तरकरण संख्या 991 दिनांक 29.12.10 से उक्त भूमि के वारीस बनकर अपने नाम पर प्रशासन गॉवो के संग अभियान दिनांक 29.12.10 को राजस्व अधिकारी कर्मचारीयो से मिलीभगत कर अपने नाम पर दर्ज करवा लिया गया। जबकि मृतक किशोरपुरी के विधिक वारीसान ही उक्त भूमि के अपीलान्ट ही हकदार हैं। जो उनके नाम पर ही दर्ज होनी चाहिये। अपीलान्टगण द्वारा इस संबंध में एक फौजदारी प्रकरण भी पुलिस थाने में दर्ज करवा रखा हैं। जहॉ पर भी अनुसंधान विचाराधीन हैं। अपने कथनो की ताईद में भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग, उदयपुर के खसरा संवत् 2022 की प्रमाणित प्रतिप्रस्तुत करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात के मुल खातेदार किशोरपुरी पिता दल्लापुरी गुसाई ही थे। मुल खातेदार किशोरपुरी को भी उक्त भूमि उनके पुर्वाधिकारी दल्लापुरी वल्द नन्दपुरी गुसाई से प्राप्त हुई थी जो भी जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेंट संवत् 1995 में दर्ज हैं। उक्त जमीन पर रेस्पोडेंटगणो का कोई अधिकार आधिपत्य नहीं हैं। मात्र धोखाधड़ी से अपने नाम पर दर्ज करवा दी गई है जो पुनः किशोरपुरी के वैध वारीसान अपीलान्टगणो के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अपने कथनो की ताईद में आर आर डी 1989 पेज 45 की नजीर प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्टगणो ने रेस्पोडेंटगणो के विरूद्ध गलत एफ.आई.आर. दर्ज करायी है जिसकी इस केस से कोई रिलेवेन्सी नहीं हैं। हिरालाल किशनलाल आदि ने रेस्पोडेंटगणो के विरूद्ध एक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद एस.डी.ओ. कोर्ट मावली में पेश कर रखा है जो अपीलान्ट की जानकारी में हैं। अपीलान्ट चाहे तो उस वाद में पक्षकार

बनकर अपने हक अधिकारो को तय कर सकते हैं। विधि का सुसंस्थापित सिद्धांत है कि किसी न्यायालय में वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में यदि घोषणा का वाद विचाराधीन हो तो ऐसी सम्पत्ति के संबंधी नामान्तरकरण की कार्यवाही में कोई सुनवाई नहीं की जा सकती हैं। क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फौरी कार्यवाही हैं। जिसमें किसी के अधिकारो को तय नहीं किया जा सकता हैं। अपीलान्टगणो को चाहिये कि नियमित घोषणा के वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर ही हक हकुक तय किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह अपील मेन्टेनेबल नहीं हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने कई निर्णयो में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि उत्तराधिकार से संबंधित कॉम्प्लीकेटेड बिन्दु म्युटेशन की कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते हैं। यह बिन्दु केवल दावे में साक्ष्य लेने के बाद ही तय किये जा सकते हैं। साथही यह निवेदन किया कि उक्त भूमि के मुल पुरूष किशोरपुरी थे। किशोरपुरी के हिरापुरी हुए। हिरापुरी के माधोपुरी, चैनपुरी, प्यारपुरी, जमना हुई। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा भी उक्त सजरा दिनांक 05.07.16 को प्रमाणित किया गया हैं एवं नामान्तरकरण खोलते समय नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि किशोरपुरी फौत बैरून मियाद हिरापुरी फौत। जिस कारण से नामान्तरकरण विरासत से रेस्पोडेंटगण के नाम खोला गया हैं। अपने कथनो की ताईद में हिरापुरी का मृत्युप्रमाण पत्र की छायाप्रति, ग्राम पंचायत धनेरिया द्वारा जारी सजरे की छायापप्रति, विद्युत बिलो की छायाप्रति एवं निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई हैं जो शामिल पत्रावली की गई हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2010 मजमे आम उपस्थित ग्रामीणो से किशोरपुरी के विधिक वारीसानो का सम्पूर्ण ज्ञान कर ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरे के आधार पर खोला गया हैं। जो सही हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विद्ववान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फौरी कार्यवाही है जिसमें किसी के हक हकुक तय नहीं किये जा सकते है मात्र घोषणा के वाद में ही साक्ष्य सबुतो के आधार पर सही हक हकुक का निर्धारण हो सकता हैं। जिन कथनो से हम सहमत हैं। परन्तु उनके द्वारा एस.डी.ओ. कोर्ट मावली में विचाराधीन वाद की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई हैं। जिससे यह साबित नहीं होता है कि न्यायालय में विचाराधीन घोषणा का वाद क्या इसी वादग्रस्त भूमि से संबंधित हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारी सुविचारीत राय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भु प्रबन्ध सेटलमेंट के खसरा संवत् 2022 में उक्त वादग्रस्त आराजीयात किशोरपुरी पिता दल्लापुरी गुसाई के नाम दर्ज हैं। परन्तु इसके पश्चात् इसका पुत्र हिरापुरी हुआ। क्योंकि अपीलीय नामान्तरकरण में सरपंच द्वारा दो सजरे प्रमाणित किये हुए हैं। जिसमें एक में किशोरपुरी पिता दल्लापुरी के अपीलान्टगण बता रखे है और हिरापुरी को एक तरफ लिखा हुआ है दुसरे सजरें में किशोरपुरी का पुत्र हिरापुरी बता रखा है और हीरापुरी के रेस्पोडेंट बता रखे है जो अपने आप ही विवादास्पद हैं। रेस्पोडेंटगण द्वारा इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किशोरपुरी का पुत्र हिरापुरी हुआ। मात्र ग्राम पंचायत धनेरिया का दिनांक 05.07.16 का प्रमाण पत्र जिसमें हिरापुरी पिता किशोरपुरी उर्फ किशनपुरी का सजरे में उनके तीन पुत्र और एक पुत्री जो रेस्पोडेंटगण हैं। ऐसी स्थिति में अपीलीय नामान्तरकरण अपने आप ही विवादीत प्रतित हो रहा हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा प्रमाणित ग्राम साकरोदा का नामान्तरकरण दिनांक 29.12.10 को प्रथम दृष्ट्या तत्थ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटीपुर्ण

पाते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 991 आदेश दिनांक 29.12.10 ग्राम साकरोदा को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए न्यायालय के स्तर पर भी किशोरपुरी के वैध वारीसानो की जॉच कराते हुए नये सीरे से उपलब्ध साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में विधिक निर्णय नये सीरे से पारित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर